न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी, जयपुर महानगर–प्रथम

पीठासीन अधिकारी : : : संजय कुमार मीना (RJS)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या –157/2026, जमानत आवेदन संख्या –121/2026
सी.आई.एस. नं. –117/2026

1. रामजीत मीना पुत्र स्व. श्री रामेश्वर मीना, उम्र 27 साल, निवासी नांद गोलडा, टोडाभीम थाना टोडाभीम, जिला करोली हाल किरायेदार मकान नं. 13 ई 138 सेक्टर नं. 13 इंन्द्रा गांधी नगर पुलिस थाना खोह नागोरियान, जिला जयपुर पूर्व।

अभियुक्त/प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य

अभियोजन

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस
अपराध अन्तर्गत धारा 331(3), 305(ए) भारतीय न्याय संहिता पुलिस थाना जामडोली,जयपुर पूर्व

उपस्थिति : 1. विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शर्मा, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

: आदेश : दिनांक : 27.05.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपराध में यह जमानत का यह प्रथम आवेदन पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र धारा 480 बी.एन.एस.एस के अधीन न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–15, बस्सी, जयपुर महानगर–प्रथम द्वारा दिनांक 22.05.2026 को अस्वीकार किया गया है। बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2. प्रकरण के समस्त तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी जसवंत सिंह ने पुलिस थाना जामडोली में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करवायी कि दिनांक 23.04.2026 को समय करीब 7:45 पीएम पर पड़ौसी ने

फोन कर उसे बताया कि उनके मकान के अन्दर का गेट खुला हुआ है तथा बाहर का गेट बंद है फिर उन्होंने पड़ोसियों से गेट के अंदर जाकर देखने के लिए बोला तो उन्होंने देखकर बताया की मकान के अंदर के ताले टूटे हुए है तथा समान बिखरा हुआ पड़ा है फिर उसके दोस्त दिनेश मकान पर पहुंचा गया था तथा पुलिस भी मौके पर आ गई थी। उन्होंने जब सामान संभाला तो उसका एक लेपटॉप तथा 9 पेनड्राईव तथा उसके दोस्त दिनेश के एक बैग जिसके अंदर एक पर्स, आधार कार्ड, पेन कार्ड, डी.एल व मोटरसाईकिल की आर.सी. तथा पर्स में करीब 5,000 रूपये तथा तालो की चाबी रखी हुई थी जिनको अज्ञात चोर चुराकर ले गये।.....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना जामडोली जयपुर पूर्व में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

3. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का उक्त उनवानी प्रकरण से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रार्थी से किसी प्रकार की बरामदगी शेष नहीं है और ना शिनाख्तगी का प्रश्न है। प्रार्थी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है तथा अधिक दिनों तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके चरित्र व व्यवहार पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्रार्थी राजस्थान का स्थायी निवासी है तथा उसके मफरूर होने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी के विरूद्ध आरोपित अपराध भी ऐसा नहीं है जिसमें आजीवन कारावाया या मृत्यु दण्ड का प्रावधान हो। अंत में जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी/अभियुक्त को उचित जमानत मुचलको पर रिहा करने का निवेदन किया।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया व जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

5. प्रकरण पर सुना गया। अनुसंधान पत्रावली एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अनुसार प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड सलंग्न पाया गया है:–

कं.स.	मु.न.	धारा	थाना	चार्जशीट नं.
1.	746/2013	457,380 आईपीसी	खो नागोरियान	290/2023
2.	633/2024	305(ए), 331(3) बीएनएस	खो नागोरियान	309/2024
3.	628/2024	305(ए), 331(3) बीएनएस	खो नागोरियान	282/2025

4.	146/2026	304(2) बीएनएस	खो नागोरियान	44/2026
5.	123/2026	305(ए) बीएनएस	खो नागोरियान	पैंडिग

6. केस डायरी के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि मुलजिम के विरूद्ध उक्त प्रकरण में चोरी किये जाने का आरोप है। यद्यपि मुलजिम के विरूद्ध पूर्व के 5 आपराधिक प्रकरण दर्ज है परंतु मुलजिम काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मुलजिम को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

7. फलतः अभियुक्त रामजीत मीना पुत्र स्व. श्री रामेश्वर मीना की ओर से प्रस्तुत यह जमानत का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस एतद्नुसार स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी नियमित उपस्थिति हेतु 25,000–25,000/–रूपये (पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये) की दो सुदृढ़ जमानतें व 50,000/– रुपये (पचास हजार रूपये) का मुचलका प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवें, तो उसे तुरन्त जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे। आदेश की एक प्रति अविलम्ब अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। न्यायिक नजीर In Re Policy Strategy For Grant of Bail, SMWP (Criminal) No. 4/2021, Dated 31.01.2023 की पालना में प्रार्थी/अभियुक्त को व्यक्तिगत नोटिस हेतु आदेश की प्रति जरिये ई–मेल संबंधित कारागृह को प्रेषित की जावे।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी,
जयपुर महानगर–प्रथम।

8. आदेश आज **दिनांक 27.05.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी,
जयपुर महानगर–प्रथम।